12.00 hrs.

SHORT NOTICE QUESTION

सियालकोट क्षेत्र में 36 एकड़ भूमि पर पाकिस्तानी दावा

+

S.N.Q. 22. श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालकोट क्षेत्र में जिस 36 एकड़ भूमि पर पाकिस्तान दावा करता है उस पर पाकिस्तान का अधिकार कब हुआ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में सीमांकन रेखायें स्पष्ट हैं;

(ग) जब इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अधिकार किया था उस समय भारतीय सेना अथवा पुलिस के प्रहरी वहां से कितनी दूरी पर थे; और

(घ) क्या 5 अगस्त, 1965 से पहले भारत ने इस भूमि पर पुनः अपना अधिकार करने के लिये कोई सैनिक अथवा कूटनीतिक कायवाही की थी ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) The Defence authorities came to know of these encroachments as follows:-

(i) Dhamala Nala Pocket No. I .. 1954

(ii) Dhamala Nala Pocket No. II. .. 1962

(iii) Devigarh area .. 1956

(b) Yes, Sir.

(c) This area was normally guarded by the Police. The police posts were 700 to 1500 yards within the Indian border.

(d) Our security forces have, on occasions, resisted Pakistan's attempts to militarily patrol the areas. A number of Flag meetings were held under UN auspices to make Pakistan vacate the area in question. At these meetings at one stage, it was agreed that a joint survey sould be carried out to demarcate the border. Subsequently, the Pakistan Commanders resiled from this stand. The matter was, thereafter, also taken up by our High Commissioner in Pakistan with the Pakistan Foreign Secretary and Foreign Minister.

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कच्छ का समझौता हुआ, या जब ताशकन्द समझौता हुआ, क्या उस वक्त सरकार के दिमाग में यह नक्शा था कि इन जगहों पर पाकिस्तान की सेना है और इन जगहों को छोड़ना पड़ सकता है, अगर उसके दिमाग में यह बात थी, तो उसके सम्बन्ध में, भविष्य में हमारे लिए रास्ता बन्द न हो जाये, इस बारे मे सरकार ने क्या प्रीकाशन ली थी । इस सम्बन्ध में इस वक्त क्या हालत है और आगे इस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया जा सके, इसके लिये क्या कार्यवाही सोची जा रही है ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): As far as the Kutch problem is concerned. . . .

श्री किशन पटनायक : मैं कच्छ प्राबलम की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जब कच्छ समझौता हुआ, तब यह बात हमारे सामने थी या नहीं ।

श्री किशन पटनायक : और ताशकन्द समझौते के समय भी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ताशकन्द समझौते के समय यह बात हमारे सामने थी या नहीं, माननीय सदस्य यही पूछ रहे हैं ।

ताशकन्द समझौते के वक्त हम ने किसी डीटेल्ज में नहीं जाना था। उस वक्त इतनी ही बात थी कि हमने 5 अगस्त की लाइन पर जाना था। वहां पर हम हर एक चीज की डीटेल्ज या मैरिट्स में नहीं गए। वह बात वहां नहीं हो सकती थी। यह इरादा भी नहीं था कि हम हर एक बात की डीटेल में जायें। लेकिन यह बात सामने थी।

श्री किशन पटनायक : मेरा सवाल यह यह था कि जब मन्त्री महोदय ताशकन्द समझौता करने गए—ताशकन्द समझौते में क्या था, यह मेरा सवाल नहीं है—, उस समय क्या इस इलाके का इस तरह का नक्शा उनके दिमाग में था; अगर था, तो भविष्य में, या ताशकन्द समझौते के नतीजे में, यह जमीन हमारे हाथ से न चली जाये, इसके लिए सरकार ने क्या प्रीकाशन ली थी और अगर नहीं ली थी, तो क्यों नहीं ली थी।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब तो यह कह रहे हैं कि ताशकन्द समझौते के वक्त सिर्फ़ यह सवाल था कि 5 अगस्त की लाइन पर वापस चले जायें, इस लिए उस वक्त एक एक चीज को सामने रखना जरूरी नहीं था। अब माननीय सदस्य दूसरा सवाल करें।

श्री किशन पटनायक : जब कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर बहुत पहले कब्जा कर लिया था, तो ताशकन्द समझौते के बाद हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है कि हम इस को छुड़ा सकें और इस वक्त इस को छुड़ाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, I do not want to discuss this particular question, how we can go into this, what we can do at this stage and all that. The only question that arises is out of a certain fact of withdrawals. Naturall, though it is our claim and it is our case that these areas belong to us according to the records of rights, we had to withdraw because of the agreement of going back to the 5th August line.

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे सवाल का जवाब आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप ही देख सकते हैं। मैंने भी उस को सुना है और आपने भी सुना है।

श्री किशन पटनायक : मैंने पूछा है कि इस समय क्या मशीनरी रह गई है, क्या रास्ता रह गया है कि यह इलाका हमारे पास वापस आ सके।

अध्यक्ष महोदय : सिवाये लड़ाई के और क्या रास्ता रह जाता है ?

श्री बड़े : मन्त्री महोदय ऐसा कहें।

अध्यक्ष महोदय : उनके कहने की क्या जरूरत है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : मन्त्री महोदय कहें कि बिना लड़ाई के यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

श्री किशन पटनायक : पाकिस्तान ने यह इलाका किस तरह लिया था ?

श्री मधु लिमये : बिना लड़ाई के।

श्री किशन पटनायक : तब तो लड़ाई नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया .

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या इस इलाके में हदबन्दी का यह तरीका है कि मील मील पर, या और ज्यादा दूरी पर, पत्थर गाड़ दिये जायें और दो पत्थरों के बीच की लकीर को सीमा माना जाता है; अगर ऐसा है, तो मन्त्री महोदय उन मीलों के पत्थरों का नम्बर बतायें या मील बतायें। और दो पत्थरों की सीध अगर सीमा है, तो फिर यह जमीन कैसे चली गई और सरकार वह जमीन अभी तक वापस क्यों नहीं ले पाई ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, when we say that according to the records of rights the land belongs to us, it is certainly

true that there were these boundary pillars from place to place. They are not exactly at mile's distance, they are sometimes even at less than a mile's distance. So we know exactly where the boundary lies; there is no doubt about that.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर के बारे में आप को ही मन्त्री जी से कहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही कह दें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मन्त्री महोदय, जरा उन पत्थरों का नम्बर बतायें, वे कहां पर हैं, जहां से यह जमीन गई है और जब दो पत्थरों के बीच की सीधी लकीर सीमा होती है, तब उसमें से जमीन कैसे चली गई ? यह स्वयंसिद्ध बात होते हुए भी यह जमीन कैसे चली गई ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, the fact is, I exactly cannot go into the details about what happened. Possibly, as has been explained in this reply..... अगर माननीय सदस्य बैठ जायें, तो मैं कहूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बैठ जाता हूं । मैं तो उनकी इज्जत के लिए खड़ा था ।

Shri Y. B. Chavan: Sir, what I was trying to explain is, in answer to the main question we have said that police patrol and police pickets which were placed there were sometimes 500 to 700 yards inside our border, because if police pickets are established they are established from the point of view of from where they can effectively patrol the area and observe the area. Sometimes it happened in one of the areas the nala changed its course and possibly that gave them some opportunity or something like that and it happened. I do not know exactly what were the points or the exact details of what happened in those places.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, अब इस पर तो मैं अपने हक पर रहना चाहता हूं । इतने दिनों के बाद मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं । मैं उनसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि वे हदबन्दी के पत्थर कितनी कितनी दूरी पर थे और किस नम्बर के थे हर एक पत्थर का नम्बर होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या मिनिस्टर साहब पत्थर के नम्बर बता सकते हैं या नहीं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक पत्थरों की दूरी का सवाल है, वे कहीं मील पर हैं और कहीं मील से कम पर हैं ।

Shri Y. B. Chavan: I have not got the number of the pillars.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं उन जगहों को देखे हुए हूं, जैसे हिन्दूमलकोट में मैंने देखा कि वहां पर पत्थर गड़े हुए हैं और दो पत्थरों के बीच में सीमा मानी जाती है । इस लिये यह बिल्कुल असम्भव बात है कि इस तरह से यह चला जाय ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वहां पर पत्थर गड़े हुए हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : लेकिन उनके नम्बर वगैरह कुछ तो बताइये ? आखिर 15–20 दिन तक इस सवाल के लिये आपने क्या किया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नम्बर नहीं बताया है, पत्थर बताये हैं कि मील पर या उससे काम फासले पर लगे हुए हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब तक नम्बर नहीं बतायेंगे, कोई सवाल इसमें से निकल नहीं सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : नम्बर नहीं बता सकते ।

Shri Ranga: He has given us only the benefit of his doubt or his assumption or guess. Should not the House

expect him to say that he would inquire into the matter; how does it happen that our troops, our frontier guards found it necessary to remain so far behind our own lines that Pakistan was able to trespass and claim it as its own? Should he not offer to enquire into the true facts of the case?

Shri Y. B. Chavan: I have already offered to inquire. I will certainly have further inquiries made. The information that I give is the result of the inquiry that I made. There is no reluctance on my part to give any fact.

Shri Ranga: In other areas also similar things must be happening.

Shri Y. B. Chavan: I quite agree. I am not reluctant to give any information that I have got. I will make further inquiries if the House wants me to make inquiries.

श्री मधु लिमये : मेरा ख्याल है कि मन्त्री महोदय इस बात को मानेंगे कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त, 1947 को, उस वक्त हिन्दुस्तान की कोई न कोई सीमा रेखा थी, उसके बाद विदेशों के द्वारा जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो चार नई सीमायें बन गईं, 31 दिसम्बर, 1948, फिर 8 सितम्बर, 1962 चीन को लेकर, फिर कच्छ को लेकर 1 जनवरी, 1965 और अब हो गई 5 अगस्त, 1965 । तो यह जो नई नई सीमा-रेखायें बनाई जा रही हैं, उसके फलस्वरूप हम अपनी भूमि पर से अपना स्वामित्व खोते चले जा रहे हैं । विदेश मन्त्री बार बार कहते हैं कि कानून की दृष्टि से हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो यह इलाका चला गया । जब पूछा जाता है कि कब वापस लेंगे, कैसे वापस लेंगे तो कोई जवाब नहीं दिया जाता । मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार यह सिलसिला कब तक चलेगा । जब आईन्दा करार किये जायेंगे तो क्या सरकार एक ही सीमा की बात करेगी—वह होगी 15 अगस्त, 1947 की सीमा, इसके अलावा और कोई सीमा नहीं हो सकती ।

Shri Y. B. Chavan: It is a very obvious thing that our border is what it was on 15th August, 1947.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे इत्तफाक करते हैं, 15 अगस्त, 1947 की सीमा को मानते हैं ।

श्री मधु लिमये : अगर वह यह महसूस करते हैं कि 15 अगस्त, 1947 को कोई सीमा थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आइन्दा जितने करार होंगे, क्या उनके लिये 15 अगस्त, 1947 की रेखा की ही बात करेंगे या कोई और नई लाइन बनायेंगे जिसके अन्दर भूमि चली जायगी ? मेरे इस सवाल का जवाब आना चाहिये ।

Shri Y. B. Chavan: There is no question of our accepting any line other than what we have accepted as our frontier on the 15th August, 1947. There is no doubt about it.

श्री मधु लिमये : मेरा यह सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे इत्तफाक कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा कहते हैं ।

श्री मधु लिमये : मैंने यह कहा है कि जब कभी करार किये जायेंगे, जैसे काश्मीर के बारे में युद्ध-विराम का करार किया, चीन के साथ 8 सितम्बर, 1962 की बात की, फिर कच्छ के बारे में करार किया, फिर ताशकन्द करार किया, इस प्रकार नई नई वास्तविक सीमायें बन रही हैं, तो 15 अगस्त, 1947 की सीमा को मान कर किये जायेंगे, आप मुझे जवाब दिलावइये, मैं जानकारी चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

Shri Y. B. Chavan: As far as the Tashkent Declaration is concerned.

Mr. Speaker: He only wants to know whether in future....

Shri Y. B. Chavan: I am talking of the future. What we have accepted as the 5th August line is not the final acceptance of the frontiers of India.

श्री मधु लिमये : आप किस को बेवकूफ बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, कानूनी ढंग की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में नई नई सीमायें बना रहे हैं ।

Shri Tyagi: Will the Minister be pleased to make it quite clear that any withdrawal of armed forces, either on account of the Tashkent Agreement or any other agreement, does not imply the withdrawal of civil administration from our territory, that our claim and possession of the territory will vest in us and it is only the withdrawal of armed forces according to the agreement, and not surrender of territory?

Shri Y. B. Chavan: I am thankful to the hon. Member for raising this question so that I can make a very categorical statement. This is withdrawal of forces under that agreement. We have not surrendered that nor do we propose to surrender that area.

Dr. M. S. Aney: After 1947 the Radcliffe Commission was appointed and it was that Commission which ultimately determined the boundary. In 1947 only some broad thing was laid down but the actual demarcation was done later on. Does my hon. friend want that it must be what was done in 1947?

Shri Nath Pai: Sir, it has been the experience of Parliament—you have been a witness to that—that what are called or supposed to be temporary withdrawals have a tendency to become the permanent frontiers of India and, as a result, 50,000 square miles of our territory is under enemy occupation. Therefore may we have a categorical assurance from this Government that, even before agreeing to, what is called, a temporary withdrawal prior consent of Parliament will be sought and this Government, because of our very bad experience, will never agree to the so-called temporary withdrawal because that withdrawal is not sanctioned by this Parliament?

Shri Y. B. Chavan: Parliament is within its right to expect this of Government and Government will have to respect the wishes of Parliament. There is no doubt about it.

Shri Khadilkar: As hon. Member, Dr. Aney, pointed out, the reference is to the Radcliffe award if we want to see the actual boundary. I would like to know the boundary demarcation indicated in the Radcliffe Award itself.

Shri Y. B. Chavan: I might mention that according to the record of rights it is an international frontier of the Jammu and Kashmir State. That was absolutely clear. Certainly, there are boundary pillars. I think, this also is the Radcliffe Award.

श्री काशीराम गुप्त : यह जो 26 एकड़ भूमि है, यह तीन टुकड़ों में बटी हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं और पाकिस्तान इनके बारे में अपनी क्या दलीलें दे रहा है ।

Shri Y. B. Chavan: The two areas are very near each other; it is a part of the same thing. The third area is a few miles, away.

श्री काशीराम गुप्त : पाकिस्तान इनके बारे में क्या दलीलें देता है, वह बताइये ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कभी आप मेरे पास आयें तो मैं आपको नकशे में दिखाऊंगा ।

श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि पाकिस्तान क्या दलीलें देता है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बार बार पूछते हैं कि पाकिस्तान इस एरिया के बारे में क्या कहता है ।

Shri Y. B. Chavan: Certain things are indicated in my reply. About these areas whenever there were the flag metings between the local commanding officers, they agreed to some sort of a joint survey for this, but then they resiled from that position. When the High Commissioner took up the matter with them, the High Commissioner and the Foreign Minister of Pakistan also practically followed the line of the commanders and did not agree to have any point survey or further discussion.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Accepting the assurance of the hon. Minister when he said that it is our territory and it will remain our territory, may I know whether Government has devised any machinery by which they will be able to take back this territory without making this territory one of the disputed items?

Shri Y. B. Chavan: This is not a disputed territory.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Pakistan has claimed this territory because it was occupying that territory and when Mr. Bhutto raised that aspect, naturally, the UN observers said that Indian troops would have to withdraw from that territory. That is the position today. I would like to know, if the other party raises a point of dispute, what machinery you have to assert your authority in that territory which is your territory. Have you got any machinery or do you propose to devise any machinery by which you will be able to do that?

Shri Y. B. Chavan: As far as we are concerned, there is no such question of devising any machinery to know what is our territory because we know what is our territory.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: How are you going to do that? I have not been able to understand that. That territory is not in our possession. How are we going to take back that territory?

Mr. Speaker: She should not persist now.

Shri Y. B. Chavan: These matters cannot be discussed here.

श्री स० मो० बनर्जी : जितने भी जवाब मन्त्री महोदय ने दिये हैं उनसे साफ जाहिर है कि जो आर्मी कमान्डर्ज हैं वे यह फैसला करते हैं कि कौन सी जमीन उनको पाकिस्तान को देनी है, कौनसा भाग छोड़ना है . . .

श्री त्यागी : देने लेने का नहीं . . .

श्री स० मो० बनर्जी : फौज वापिस आने का मतलब यह है कि वह इलाका दिया गया है . . .

श्री त्यागी : यह बात नहीं . . .

श्री स० मो० बनर्जी : त्यागी इस वक्त मन्त्री नहीं हैं । इस वास्ते मैं उनकी बात नहीं मान सकता हूं ।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे फैसले जिस में जमीन छोड़ने की बात आए मन्त्री महोदय क्या कुछ करने का विचार रखते हैं ? अयूब साहब से या उनके डिफेंस मनिस्टर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर बात करके इसका कोई अन्तिम फैसला करेंगे कि यह धरती कहां तक हम को छोड़नी होगी ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आखिर हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है ?

Shri Y. B. Chavan: I think I have given all the facts which can answer this question. There is no question of army commanders deciding which is our area and which is not our area. Really speaking, they have to decide on the basis of facts of the occupation on the 5th August and they merely decided to withdraw forces. There is no question of army commanders taking any decision as to which is our territory and which is not our territory. As far as the facts are concerned, I have repeatedly said that this

area belongs to us. There is a proof of that. There were boundary pillars and some of the pillars are there even now.

Mr. Speaker: Call Attention Notice. Shri S. M. Banerjee.

Some hon. Members *rose*—

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का सवाल है । इसी सवाल के सम्बन्ध में हमने ढाई घंटे की चर्चा मांगी थी ।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह भी देखना चाहिये कि 20–22 मिनट इस एक सवाल पर हमने ले लिये हैं ।

Shri Hem Barua: I wanted to draw the Minister's attention to the written statement by Mr. Bhutto obout this.

Mr. Speaker: They can seek some other remedy. Shri S. M. Banerjee.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह बहुत महत्व का सवाल है । अगर इसको चलने दें और हम लोगों को भी सवाल पूछने दें तो आपकी बड़ी (इंटरप्शंज) .... आपको ध्यान होगा कि संसद् कार्य मन्त्री ने जब वक्तव्य दिया था तो मैंने कहा था कि सियालकोट के बारे में बहस होनी चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें और आगे कार्रवाई को चलने दें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सवाल पूछने दें . . .

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं पूछ सकते हैं । शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ लिया गया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप नाराज न हों, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : आप नाराज न हों । बैठ जाइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारी पार्टी में से किसी भी सदस्य को सवाल पूछने नहीं दिया गया है . . .

श्री बड़े : यह हमारे साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है——

अध्यक्ष महोदय : अन्याय नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप जरा हमारी बात तो सुन लें——

अध्यक्ष महोदय : अब चलने दीजिये, बैठ जाइये ।

श्री बड़े : इन्हीं कारणों से हाउस में हल्ला होता है । आपकी नीति रही है कि हर एक पार्टी को आप चांस देते हैं । हम दो बार खड़े हुए हैं । हम नहीं चाहते हैं कि हल्ला हो . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : हमें भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा ।

श्री बड़े : कोई चारा नहीं रह जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : जरूर चलिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: आप खुद मौका देते हैं इसका ।

श्री मधु लिमये : दो तीन प्रश्न पूछने दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : 25 मिनट हो गए हैं, और मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कितनी बार खड़े हुए हैं हम लोग लेकिन आपकी निगाह इधर नहीं गई है । आपको इधर भी निगाह करनी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बर साहिबान से कहूंगा कि अब यहीं इसको खत्म कर दें । बहुत हो गया है । 25 मिनट इस पर हमने सर्फ कर दिये हैं । अगर किसी को चांस नहीं मिल सका है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : महत्व का यह सवाल है । इस पर एक घंटा भी लग जाए तो भी हमें लगाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा शार्ट नोटिस क्वश्चन पर नहीं हो सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभी दलों को आपने बुलाया है। हम को नहीं बुलाया है। हमारी पार्टी में से किसी को तो आप बुलाते। हम कब से खड़े हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री ओंकार लाल बेरवा : हमें भी झगड़ा करना पड़ेगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Punjab

*1398. **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Bagri:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that achievment target for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes remained behind schedule in Punjab during 1965-66;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to achieve the target?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) The year 1965-66 has ended only very recently and it is too early to know the targets actually achieved during that year. Before furnishing the information to the Central Government, the State Government have to collect necessary data from the various field agencies which involves considerable time. However, from the estimated figures available, it is expected that the proposed targets would be achieved in full in all the schemes except a minor anticipated shortfall in the scheme of wheel barrows/hand carts for Secheduled Castes.

(b) The shortfall in the scheme mentioned above, is due to Municipal Committees' inability to take fuller advantage of the scheme and antipathly to the use of wheel barrows/hand carts on the part of scavengers.

(c) The scheme is being popularised through tactful handling of scavengers by public health officials and propaganda by non-official organisations etc.

Jodhpur Commercial Bank

*1404. **Shri U. M. Trivedi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the present position regarding the assets of the Jodhpur Commercial Bank after 12th September, 1961 when it was closed by the order of Government;

(b) whether any share-holders have been paid any dividend or the value of shares confiscated; and

(c) the provisions of the law under which action was taken?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). After paying the depositors in full, the Central Bank of India, as the transferee institution, has declared a dividend of 55 per cent in respect of the paid-up capital of Rs. 50 lakhs, which is due to be returned to the shareholders of the Jodhpur Commercial Bank. Against the sum of Rs. 22.50 lakhs, which is still due to the shareholders, the advances which are bad or doubtful of recovery amount to Rs. 24.14 lakhs and the value of the other assets in the collection account is about Rs. 1.62 lakhs. Further payments to the shareholders will depend on the extent to which the advances can be realised.

(c) The bank was amalgamated with the Central Bank of India under the provisions of sub-section (7) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949.